न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आरएएस

प्रकरण संख्याः– 69/2020/आवेदन अ0 धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. प्रहलादसिंह पुत्र रामबक्ससिंह
2. रघुवीरसिंह प्रहलादसिंह
3. सुरेश कंवर पत्नि रघुवीरसिंह
4. भगवानसिंह पुत्र बेरीसालसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण मण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादी

बनाम

1. रतनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत
2. भगवानराम पुत्र बल्लूराम
3. सुरजी पत्नि भगवानाराम जाति जाट

निवासीगण मण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

4. तहसीलदार महोदय, दांतारामगढ जिला सीकर।
5. उपतहसीलदार महोदय, उपतहसील पलसाना, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी
अर्न्तगत धारा 111 व 128 आर. एल. एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री योगेश शर्मा वकील वादीगण की ओर सें।
2. श्री राजेन्द्र जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर सें।
3. प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गयी।

निर्णय

दिनांक – 31.01.2022

1 वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मण्डा (मदनी) पटवार हल्का मण्डा (मदनी) गिरदावर हल्का पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खाता संख्या नया 634 खसरा नम्बर 2323/735 रकबा 2.220 हैक्टर किस्म चाही लगानी 33 रूपये 30 पैसे, खाता संख्या 243 नया खसरा नम्बर 730 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म चाही बारानी 3 लगान 0.03 पैसे,

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

खसरा नम्बर 731 रकबा 0.040 हैक्टर बारानी लगान 0.12 पैसे, खसरा नम्बर 732 रकबा 0.040 हैक्टर बारानी लगान 0.12 रूपये कुल खसरा नम्बर 3 कुल रकबा 0.09 हैक्टर लगान 0.27 हैक्टर अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण काबिज काश्तकार खातेदार है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के उक्त वर्णित खसरा नम्बरों के खेतों के पडोसी है तथा आए दिन प्रार्थीगण के खेतों की सींव नींव खुर्द बुर्द करते रहते है। इस कारण प्रार्थीगण ने दिनांक 04.07.2020 का श्रीमान तहसीलदार महोदय, दांतारामगढ के आदेश क्रमांक/भु.अ. /1092 दिनांक 23.06.2020 के आदेश की पालना में खसरा नम्बर 734 गैर मुमकिन किस्म चाह को पुख्ता पोइन्ट मानकर सीमाज्ञान करवाया था तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खेतों की सीमाओं से अवगत करवा दिया था। लेकिन अप्रार्थीगण काफी तेज है। इसलिए अब भी प्रार्थीगण के खेतों की सीमाओं को खुर्द बुर्द कर रहा है। इसलिए प्रार्थीगण अपने उक्त वर्णित कृषि भुमि वर्णित मद संख्या 1 के पुख्ता सीमाचिन्ह् (पत्थरगढी) करवाने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवाणाधिकार क्षेत्राधिकार में है। दिनांक 16.07.2020 का अप्रार्थीगण के कृषि भूमि की सीमाओं को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी है। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

2 आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील राजेन्द्र जाखड़ हाजिर आये तथा आदेशिका पर दोनों पक्षों को सुचित कर पत्थरगढी करने हेतु सहमती जाहीर की। अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3 आवेदन पर सुनी गई उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम मण्डा (मदनी) पटवार

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

हल्का मण्डा (मदनी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमान्दी संवत 2076–79 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2323 / 735, 730, 731, 732 किता 04 कुल रकबा 2.31 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसका सीमाज्ञान पटवारी हल्का मण्डा (मदनी) दिनांक 04.07.2020 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 04.07.2020 के मुताबिक दोनों पक्षों की सुनवाई कर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थी की आवेदित भूमि पर अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी करवावें तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/1/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

नोट:- आवेदन 152 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 31.01.2022 के पृष्ठ सं. 3 के पंक्ति सं. 9 पर "सुनवाई" के स्थान पर "सूचित" शब्द पढ़ा जावे।